मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-11

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 29, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 116 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य के प्रति निन्दा प्रस्ताव की स्वीकृति

शून्यकाल में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति आवेशपूर्ण शब्दों में टिप्पणियां की गई कि कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में नियम 139 के अधीन दी गई सूचना पर चर्चा रोकी जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त कर, यह व्यवस्था दी कि सभी दलों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली कार्य मंत्रणा समिति द्वारा, नियम 139 के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा पूर्व से स्वीकृत है। अतः कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए।

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा लगातार खड़े रहकर नियम 139 के अधीन कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करने की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके उत्तेजनापूर्ण प्रस्तुतीकरण एवं आसंदी पर दबाव बनाने के आपत्तिजनक आचरण की निन्दा की गई तथा सदन की कार्यवाही नियम-कायदे से चलाने हेतु कटिबद्धता प्रदर्शित की गई। श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य के असंसदीय आचरण के प्रति निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सदन द्वारा ध्वनि मत से निन्दा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हो गया तथा कानून व्यवस्था की स्थिति पर गृह विभाग की मांगों पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य का उपक्रम गरिमानुरूप नहीं है अतः वे खेद व्यक्त करें। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा लगातार अपना कथन दोहराने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके कथन को प्रतिवेदित नहीं करने के निर्देश दिए गए।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के ग्राम सोनीपुरा में आयरन की गोलियां जमीन में गाड़ी जाने,

(2) श्री केदारनाथ शुक्ला, सदस्य की भोपाल के बैरागढ़ स्थित वन ट्री हिल्स में प्रोजेक्ट उदय के कार्य पूरे करने,

(3) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट में रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी न मिलने,

(4) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की सतना सीमेन्ट फैक्ट्री में अनुपात से अधिक सीमेन्ट का उत्पादन किये जाने,

(5) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की धार के धामनोद की फैक्ट्रियों में विद्युत तार न लगाये जाने,

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की हमीदिया एवं जे.पी. अस्पताल में महंगी दवायें कालातीत होने,

(7) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की बहोरीबंद के ग्राम कुआ में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,

(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की बुधनी जिला सीहोर में लकड़ी के खिलौने बनाने वालों के विकास की राशि का दुरूपयोग होने,

(9) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की ब्यावरा (राजगढ़) में अस्पताल के डॉक्टर पर कार्यवाही न करने तथा

(10) श्री मूल सिंह, सदस्य की राघौगढ़ में संजय राजीव गांधी सुमेरी परियोजना की नहरें क्षतिग्रस्त होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण की चारों सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री अजय सिंह, राव देशराज सिंह यादव, सदस्यगण ने गुना एवं अशोक नगर जिले में वनों की अवैध कटाई होने की ओर राज्यमंत्री वन का ध्यान का आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, वन ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने चंबल संभाग के बीहड़ भूमि के पट्टे निजी कम्पनियों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री, राजस्व ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, पारस सकलेचा, सदस्यगण ने राज्य शासन द्वारा शासकीय वाहनों का बीमा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री रामलखन सिंह, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा एवं आरिफ अकील, सदस्यगण ने सतना जिले के ग्राम बिछियन में सशस्त्र डकैतों द्वारा घर में आग लगाने से कई लोगों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. स्वागत

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बसोरी सिंह मसराम, माननीय सांसद (मंडला) की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के -

(क) तहसील मिहोना से बन्थरी मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(ख) ग्राम मिहोना लहार एवं दबोह की सड़कों का डामरीकरण किये जाने,
(ग) ग्राम लहार से सेवढ़ा मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(घ) लहार तहसील के नारददेव मंदिर से मगरौल मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(ङ) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन भाण्डेर छतारेपुरा मार्ग से बड़ोखरी मार्ग में सुन्दरपुरा मार्ग जोड़े जाने,
(च) लहार में आई.टी.आई. कालेज विभिन्न ट्रेड एवं स्टॉफ के साथ खोले जाने,
(छ) लहार तहसील के ग्राम बारहेट, थनुपुरा, श्यामपुरा, जमुहॉ, दौहई, चौकी का पुरा, करीला, अजनार, गॉध, मडोरी, केशवगढ़, बगियापुरा, मेहरी, जलालपुरा आदि ग्रामों में हैण्डपंप खनन करने,
(ज) लहार तहसील में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किये जाने,
(झ) लहार तहसील के ग्राम फरदुआ की राजस्व भूमि का बन्दोबस्त सही कराये जाने, तथा
(ट) मिहोना तहसील के ग्राम मछण्ड में पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाने एवं

(2) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के -

(क) तहसील पिपरिया के ग्राम बनखेड़ी, पिपरिया, सोहागपुर, बावई तथा झिरपा को मिलाकर जिला बनाये जाने,
(ख) पिपरिया में रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण किये जाने,
(ग) पिपरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं बनखेड़ी में रिक्त डॉक्टर्स व स्टाफ की पदस्थापना करने,
(घ) पिपरिया में आई.टी.आई. केन्द्र खोले जाने एवं

(3) श्री लक्ष्मण तिवारी,सदस्य ने रीवा जिले के मनगवां के वार्ड नं.11 में 150 के.व्ही.ए. का ट्रांसफार्मर लगाने,

सम्बन्धी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 12 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

9. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .....(क्रमशः)

(1) श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार, प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -3	पुलिस के लिए एक हजार उनसठ करोड़, तिरेसठ लाख, नौ हजार रूपये;
अनुदान संख्या -4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए नौ करोड़, चौहत्तर लाख, पचपन हजार रूपये;
अनुदान संख्या -5	जेल के लिए तिहत्तर करोड़, साठ लाख, सतहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -36	परिवहन के लिए सत्ताईस करोड़, सत्तर लाख, बासठ हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -3	8, 9, 13, 17, 18
मांग संख्या -4	3, 4, 6
मांग संख्या -5	2, 5
मांग संख्या -36	5, 7, 9

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता
(6) डॉ. कल्पना परूलेकर
(7) श्री मनोहर ऊंटवाल
(8) श्री अजय सिंह
(9) श्री रामलखन सिंह
(10) श्री ताराचंद बावरिया
(11) श्रीमती साधना स्थापक
(12) श्री शंकरलाल तिवारी
(13) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(14) श्री केदारनाथ शुक्ल
(15) श्री आरिफ अकील
(16) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(17) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(18) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(19) श्री सुनील जायसवाल
(20) श्री रमेश प्रसाद खटीक
(21) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(22) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(23) श्री सुखदेव पांसे
(24) श्री राकेश शुक्ला
(25) श्री राधेलाल वघेल
(26) श्री के.पी. सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः)

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य के प्रति निन्दा प्रस्ताव वापस लिया जाना

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष ने मत व्यक्त कि आज सुबह सदन में जो गर्मा-गर्म वातावरण बना, उस समय हमारी यह भावना नहीं थी कि हम अध्यक्ष महोदय के प्रति गुस्सा व्यक्त करें। अतः हमारा अनुरोध है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य के विरूद्ध प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव को वापस लिया जाय।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दुखी मन से भावना व्यक्त की गई कि कभी-कभी माननीय सदस्यों से उत्तेजना के क्षणों में अमर्यादित व्यवहार हो जाता है। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी वरिष्ठ, अध्ययनशील एवं संजीदा विधायक है लेकिन आज के उनके आपत्तिजनक व्यवहार पर वे अपना मत व्यक्त करें तो निन्दा प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है।

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा अनुरोध किया गया कि सदन में लोक महत्व के विषय पर उन्होंने भारी एवं तेज आवाज में क्षणिक उत्तेजनावश अपनी बात कही थी। उनके मन में असंसदीय शब्दावली उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं थी। संसदीय मर्यादाओं का पालन एवं तद्नुरूप आचरण करना हम सब का नैतिक कर्तव्य सदा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - "मध्यप्रदेश विधान सभा की शानदार परम्पराएं हैं। सुबह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हम सब विचलित रहे हैं। श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक विचारों का मैं स्वागत करता हूँ। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में यदि कोई शब्द आपत्तिजनक या अप्रिय होंगे तो हम उसे कार्यवाही से विलोपित करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि सदन की शानदार परम्पराएं आगे भी कायम रखें एवं अपने मन में क्लेश न रखकर निर्मल भाव से, परस्पर सहयोग से सदन की कार्यवाही चलाने हेतु मुझे आप सबका सहयोग मिलता रहे. मुझसे अगर उत्तेजना में कोई त्रुटि हुई हो तो उसकी उपेक्षा करते हुए आप मेरे प्रति भी सतत् बड़े अपने आशीर्वाद का भाव और छोटे स्नेह का भाव रखकर इस सदन की कार्यवाही को चलाने में मुझे अपनी शुभकामनाएं दें। सदन की भावनाओं का आदर करते हुए मैं निन्दा प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति देता हूँ।"

सदन द्वारा निन्दा प्रस्ताव वापस लिया गया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद् ज्ञापित किया गया।

11. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .....(क्रमशः)

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -26	संस्कृति के लिए पच्चीस करोड़, पचपन लाख, सतावन हजार रूपये;
अनुदान संख्या -32	जनसंपर्क के लिए तिरेपन करोड़, सत्तानवे लाख, तिरेसठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए आठ करोड़, तैंतीस लाख, एक हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -26	1, 4, 5, 6
मांग संख्या -32	2
मांग संख्या -51	2, 3, 5

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) राव देशराज सिंह यादव
(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(4) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(5) श्री परसराम मुदगल
(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक
(7) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(8) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(9) श्री देवेन्द्र वर्मा

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए दस सौ साठ करोड़, अस्सी लाख, तेरह हजार रूपये;
अनुदान संख्या -42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए दो सौ बाइस करोड़, चौदह लाख, पचानवे हजार रूपये;
अनुदान संख्या -67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए दो सौ उन्नीस करोड़, इकतालीस लाख, बारह हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -76	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तीन सौ सैंतीस करोड़, उनासी लाख, उनतालीस हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -24	6, 10, 11, 12, 13, 19
मांग संख्या -42	3, 4
मांग संख्या -67	2, 5
मांग संख्या -76	2

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(2) श्री गिरीश गौतम

(लोक निर्माण विभाग की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में 9.00 बजे तक वृद्धि की गई)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री के.पी. सिंह
(4) श्री आत्माराम पटेल
(5) श्री राजकुमार उरमलिया
(6) श्री अजय सिंह
(7) श्री यशपाल सिंह
(8) श्री ब्रजराज सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(9) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(10) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(11) श्री अभय कुमार मिश्रा

(12) श्री सुरेश चौधरी
(13) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(14) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(15) श्री बाबूलाल वर्मा
(16) श्री आरिफ अकील
(17) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(18) श्री भगत सिंह नेताम
(19) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 9.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 30, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.